

भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I खंड I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 06/19/2024-डीजीटीआर  
भारत सरकार  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
व्यापार उपचार महानिदेशालय  
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,  
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक : 05.05.2025

अंतिम जांच परिणाम  
मामला सं. एडीडी (ओआई) - 17/2024)

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'ग्लूफोसिनेट और इसके साल्ट' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच

समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) और समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (डंप किए गए लेखों पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रह तथा क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 (जिसे आगे "एंटी-डंपिंग नियम" या "नियम" कहा जाएगा) को ध्यान में रखते हुए, जांच से पता चलता है कि विचाराधीन उत्पाद को वर्गीकरण 38089199, 38089390 और 38089990 के तहत रिपोर्ट किया गया है, डीजीटीआर अंतिम निष्कर्ष एफ. संख्या 6/19/2024-डीजीटीआर दिनांक 10 फरवरी, 2025 के माध्यम से जारी अंतिम निष्कर्षों में निम्नलिखित सुधार करता है।

पैरा 132 में शुल्क तालिका में प्रदर्शित टैरिफ शीर्षक 38089190, 38089390 और 38089990 को संशोधित कर 38089199, 38089390 और 38089990 किया जाता है।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)

निर्दिष्ट प्राधिकारी